

मै0 अकेशिया होम्स लि0  
उपस्थित निदेशक श्री प्रदीप शर्मा,  
पता - अकेशिया एन्कवेव, सेक्टर- 106,  
नियर एलमीन होम्स भीसायटी, टपुकड़ा।

**विषय-** ग्राम हसनपुर तह0 टपुकड़ा (पूर्व तह0 तिजारा) जिला खैरथल-तिजारा के खसरा नं0 82, 86, 87, 90, 91, 92, 94, 97, 98, 99 एवं 102 से 107 पर अनुमोदित आवासीय योजना परियोजना में रहन रखे गए भूखण्डों को रहन मुक्त करने बाबत।

**संदर्भ-** आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 19.11.2024, 02.07.2025 एवं 20.11.2025 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा खसरा नं0 82, 86, 87, 90, 91, 92, 94, 97, 98, 99 एवं 102 से 107, ग्राम हसनपुर तह0 टपुकड़ा (पूर्व तह0 तिजारा) जिला खैरथल-तिजारा में स्वीकृत आवासीय योजना मै0 अकेशिया होम्स लि0 में आन्तरिक विकास कार्यों की सुनिश्चितता हेतु विक्रय योग्य क्षेत्रफल 31266.16 वर्ग मी0 के 12.50 प्रतिशत (3908.27 वर्ग मी0) क्षेत्रफल के समतुल्य रहन रखे गये भूखण्ड संख्या 150, 151, 167, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 202, 206, 207, 216, 217, 229, 230 एवं इन्फॉर्मल व्यावसायिक भूखण्ड क्षेत्रफल 1349.26 वर्ग मी0, कुल क्षेत्रफल 3908.27 वर्ग मी0 को आंतरिक विकास कार्य पूर्ण करने तक रहन रखा गया था।

वर्तमान में परियोजना के आन्तरिक विकास कार्यों के सम्बन्ध में चार्टर्ड इन्जीनियर (Raj Kumar Singh, M-1562185) से प्राप्त पूर्णता प्रमाण पत्र एवं अभियान्त्रिकी शाखा की मौका रिपोर्ट अनुसार विकासकर्ता द्वारा समस्त आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं।

बीडा स्तरीय कार्यकारिणी समिति की 13वीं बैठक दिनांक 25.09.2025 के एजेण्डा संख्या 5 में लिए गये निर्णय अनुसार परियोजना की समयावधि विस्तार के सम्बन्ध में विकासकर्ता द्वारा नियमानुसार राशि जमा करवा दी गई है। बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार परियोजना में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के समतुल्य रहन रखे गये भूखण्ड संख्या 150, 151, 167, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 202, 206, 207, 216, 217, 229, 230 एवं इन्फॉर्मल व्यावसायिक भूखण्ड में से 10 प्रतिशत विक्रय योग्य क्षेत्रफल के समतुल्य भूखण्ड संख्या 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 202, 206, 207, 216, 217, 229, 230 एवं इन्फॉर्मल व्यावसायिक भूखण्ड, कुल क्षेत्रफल 3125.10 वर्ग मी0 को रहन मुक्त किये जाने की एतद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है। शेष 2.5 प्रतिशत विक्रय योग्य क्षेत्रफल के समतुल्य रहन रखे गए भूखण्डों को न्यूनतम 3 वर्ष अथवा रखरखाव अवधि समाप्त होने तक रहन रखा जावेगा।

(अतुल प्रकाश 20/11/25)

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

भिवाड़ी इन्टीग्रेटेड विकास प्राधिकरण

**Signature valid**

Digitally signed by Atul Prakash  
Designation: Chief Executive Officer  
Date: 2025.11.21 17:43:16 IST  
Reason: Approved



मै0 अकेशिया होम्स लि0,  
जरिये निदेशक श्री संजीव यादव,  
पता:- अकेशिया एन्क्लेव, सेक्टर- 106,  
नियर एवलीन होम्स सोसायटी, टपुकड़ा।

**विषय:-** ग्राम हसनपुर तह0 टपुकड़ा (पूर्व तह0 तिजारा) जिला खैरथल-तिजारा के खसरा नं0 82, 86, 87, 90, 91, 92, 94, 97, 98, 99 एवं 102 से 107 पर अनुमोदित आवासीय योजना परियोजना में रहन रखे गए भूखण्डों को रहन मुक्त करने बाबत।

**संदर्भ:-** आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 19.11.2024, 02.07.2025 एवं 20.11.2025 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा खसरा नं0 82, 86, 87, 90, 91, 92, 94, 97, 98, 99 एवं 102 से 107, ग्राम हसनपुर तह0 टपुकड़ा (पूर्व तह0 तिजारा) जिला खैरथल-तिजारा में स्वीकृत आवासीय योजना मै0 अकेशिया होम्स लि0 में आन्तरिक विकास कार्यों की सुनिश्चितता हेतु विक्रय योग्य क्षेत्रफल 31266.16 वर्ग मी0 के 12.50 प्रतिशत (3908.27 वर्ग मी0) क्षेत्रफल के समतुल्य रहन रखे गये भूखण्ड संख्या 150, 151, 167, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 202, 206, 207, 216, 217, 229, 230 एवं इन्फॉर्मल व्यावसायिक भूखण्ड क्षेत्रफल 1349.26 वर्ग मी0, कुल क्षेत्रफल 3908.27 वर्ग मी0 को आंतरिक विकास कार्य पूर्ण करने तक रहन रखा गया था।

वर्तमान में परियोजना के आन्तरिक विकास कार्यों के सम्बन्ध में चार्टर्ड इन्जीनियर (Raj Kumar Singh, M-1562185) से प्राप्त पूर्णता प्रमाण पत्र एवं अभियान्त्रिकी शाखा की मौका रिपोर्ट अनुसार विकासकर्ता द्वारा समस्त आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं।

बीडा स्तरीय कार्यकारिणी समिति की 13वीं बैठक दिनांक 25.09.2025 के एजेण्डा संख्या 5 में लिए गये निर्णय अनुसार परियोजना की समयावधि विस्तार के सम्बन्ध में विकासकर्ता द्वारा नियमानुसार राशि जमा करवा दी गई है। बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार परियोजना में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के समतुल्य रहन रखे गये भूखण्ड संख्या 150, 151, 167, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 202, 206, 207, 216, 217, 229, 230 एवं इन्फॉर्मल व्यावसायिक भूखण्ड में से 10 प्रतिशत विक्रय योग्य क्षेत्रफल के समतुल्य भूखण्ड संख्या 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 202, 206, 207, 216, 217, 229, 230 एवं इन्फॉर्मल व्यावसायिक भूखण्ड, कुल क्षेत्रफल 3125.10 वर्ग मी0 को रहन मुक्त किये जाने की स्वीकृति कार्यालय पत्र दिनांक 21.11.2025 द्वारा प्रदान की जा चुकी है।

प्रकरण में प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 02.12.2025 के क्रम में नगरीय विकास विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक प.11(14)नविवि/टाउनशिप पॉलिसी/2024-10169 जयपुर, दिनांक 15.10.2025 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार 2.5 प्रतिशत विक्रय योग्य क्षेत्रफल के के समतुल्य रहन रखे गए शेष भूखण्ड संख्या 150, 151, 167 एवं 199 (क्षेत्रफल 764.45 वर्ग मी0) को भी रहन मुक्त किया जाता है।

(अतुल प्रकाश काईएसए)

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

भिवाड़ी इन्टीग्रेटेड विकास प्राधिकरण

**Signature valid**

Digitally signed by Atul Prakash  
Designation: Chief Executive Officer  
Date: 2025.12.17 17:32:45 IST  
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:  
19436414